भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 837

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संक्षारक और विषाक्त उत्पादों पर प्रतिबंध

837. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संक्षारक और विषैले सफाई उत्पादों, जिनसे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हार्पिक और लाइजोल जैसे कतिपय बड़े ब्रांड भारत में ऐसे संघटकों का उपयोग कर रहे हैं जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विनियामक मानक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खतरनाक पदार्थों की निगरानी करने और स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में ऐसे ब्रांडों के विरुद्ध कार्रवाई करने अथवा जागरुकता अभियान चलाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड़): ऐसे कीटाणुनाशक जिनका उद्देश्य मानव शरीर की संरचना या किसी कार्यप्रणाली को प्रभावित करना है अथवा मनुष्यों या पशुओं में बीमारी का कारण बनने वाले कीड़ों या कीटों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाना है, का ड्रग्स के रूप में विनियमन ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची 'ट' के तहत किया जाता है।

ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में किसी भी दवा के निर्माण आदि को विनियमित, प्रतिबंधित या नियंत्रित कर सकती है, यदि उन दवाओं के उपयोग से मनुष्यों या पशुओं को कोई खतरा होने की संभावना हो।

विपणन की गई दवाओं के संबंध में रिपोर्ट किए गए सुरक्षा मुद्दे की जांच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा विशेषज्ञ समितियों/ औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) के परामर्श से की जाती है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर देश में ऐसी दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है।

****